भारत सरकार

परिणामी बजट

2010-11

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

विषय–सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	कार्यकारी सारांश	i-iii
2	**अध्याय - I** मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना और कार्य	**1-6**
3	**अध्याय** – II योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य, परिव्यय, वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां आदि	**7-13**
4	**अध्याय – III** नीतिगत पहलें और सुधार के उपाय	**14-17**
5	**अध्याय - IV** पिछले कार्यनि-पादन की समीक्षा	**18-23**
6	**अध्याय–V** वित्तीय समीक्षा	**24-34**
7	**अध्याय–VI** मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा	**35**

कार्यकारी सारांश

परिणामी बजट बजटीय प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। परिणामी बजट 2010–11 में वर्ष 2008–09 और 2009–10 (31.12.2009 तक) के वित्तीय बजट एवं वास्तिक कार्य–निष्पादन तथा वर्ष 2010–11 के वास्तविक कार्य–निष्पादन का उल्लेख है। परिणामी बजट आकलनीय कार्य निष्पादन के आधार पर सरकारी धनराशि के आबंटन और संवितरण के मध्य प्रभावी कड़ी स्थापित करने हेतु नीतिगत तंत्र के समान है।

2. परिणामी बजट 2010–11 में निम्नलिखित अध्यायों का उल्लेख है :

अध्याय I: इसमें मंत्रालय की संरचना, कार्यप्रणाली, नीतिगत ढ़ांचा, लक्ष्य, मुख्य कार्यों इसकी अनिवार्यता और मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का परिचय है।

अध्याय II: इसमें विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित वित्तीय परिव्ययों, अनुमानित वास्तविक लक्ष्यों तथा अनुमानित नतीजों के ब्यौरों का उल्लेख सारणीबद्ध विवरण के रूप में किया गया है ताकि वित्तीय परिव्ययों और लक्षित नतीजों के मध्य तारतम्य स्थापित किया जा सके।

अध्याय III: इसमें अल्पसंख्यकों की विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार के अवसर और उनकी जीवन स्थिति में सुधार हेतु विकास योजनाओं का लाभ उन्हें समान रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रमुख नीतिगत पहलों और सुधारपायों का उल्लेख है। इस अध्याय में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत महिलाओं को विशेष संसाधन उपलब्ध कराते हुए लिंग संबंधी चिन्ताओं पर मंत्रालय के प्रयासों का विवरण भी दिया गया है।

अध्याय IV: इसमें वर्ष 2008–09 के दौरान वास्तविक कार्य निष्पादन और वर्ष 2009–10 (31 दिसम्बर, 2009 तक) के लक्ष्यों का योजनावार विश्लेषण किया गया है।

अध्याय V: इसमें हाल के वर्षों के बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों तथा व्यय की समग्र प्रवृत्ति की विस्तृत वित्तीय समीक्षा की गई है, जिसमें बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का भी उल्लेख है।

अध्याय VI: इसमें मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है।

<u>निगरानी तंत्रः</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वंय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देता है जिसके लिए विस्तृत बहु–चरणीय प्रणाली अपनाई गई है। निगरानी तंत्र की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :–

क) योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना से संबंधित दिशा–निर्देशों में निगरानी तंत्र का उल्लेख है।

ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की निगरानी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टें– जिसमें योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का उल्लेख होता है, के माध्यम से की जाती है।

ग) कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/एजेंसियों/संगठनों के साथ मिलकर की जाती है।

घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय द्वारा प्रति तिमाही आधार पर तथा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में की जाती है और उसके बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट सौंपी जाती है।

ङ) अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर विभिन्न समितियों द्वारा की जाती हैं।

च) दूसरी और बाद की किश्तें जारी किए जाने से पहले कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को उपयोगिता प्रमाण–पत्र, लेखा परिक्षित खाते और अन्य अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती हैं।

छ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने की दृष्टि से देश भर में राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

लोक सूचना प्रणालीः

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सूचना, शिक्षा और संचार क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण भूमिका है। मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों में जागरूकता लाने और मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में उनकी सक्रीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहु–आयामी कार्यनीति अपनाई है। इस संदर्भ में की गई विभिन्न पहलें इस प्रकार हैं –

क) देश भर में अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और स्थानीय भाषाओं के समाचार–पत्रों तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करा कर प्रचार–प्रसार अभियान चलाया गया है।

ख) विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन तथा योजना से संबंधित ब्यौरों के प्रचार–प्रसार की दृष्टि से उन्हें मंत्रालय की वेबसाइट : www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। मंत्रालय का पोर्टल योजनाओं और कार्यक्रमों, रिपोर्टों, प्रकाशनों, प्रलेखों, सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यालय परिपत्रों/सूचनाओं आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है।

लिंग आधारित पहलेंः

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के तहत वास्तवित लक्ष्य में से 30% लक्ष्य छात्राओं के लिए निर्धारित है। अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना शुरू की जा रही है जो विशेषकर महिलाओं के लिए है।

एनएमडीएफसी की लघु वित्त योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को गैर–सरकारी संगठनों/स्वःसहायता समूहों के माध्यम से उनकी जरूरत के अनुसार अनौपचारिक रूप से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त करना है।

एनएमडीएफसी की महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को आय सृजक कार्यों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है और उन्हें कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

अध्याय - I

मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना और कार्य

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों की ओर विशे-न ध्यान दिए जाने को सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ से जुड़े नियामक और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा, मूल्यांकन, समन्वयन, समग्र नीति नियोजन में महत्तवपूर्ण भूमिका निभाने की दृ-टि से किया गया था ।

मंत्रालय के प्रमुख राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं । सचिव की सहायतार्थ एक अपर सचिव और वित्त सलाहकार और तीन संयुक्त सचिव हैं । तीन संयुक्त सचिवगण (क) नीति, नियोजन, समन्वयन और मूल्यांकन (ख) संस्थान, तथा मीडिया और (ग) स्थापना एवं वक्फ से जुड़े स्कन्ध के प्रमुख हैं । उनकी सहायतार्थ सात निदेशक/उप सचिव हैं । मंत्रालय में स्वीकृत अधिकारियों/स्टाफ की संख्या **93** है ।

मंत्रालय के क्रियाकलाप

क. प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची

i) मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान को सहायता-अनुदान : मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान एक स्वैच्छिक, गैर–लाभ अर्जक सोसाइटी है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। सरकार द्वारा प्रति-ठान को उपलब्ध करायी गयी संचित निधि (वर्तमान में 425 करोड़ रु.) के रूप में अनुदान सहायता पर अर्जित ब्याज राशि ही प्रति-ठान की आय का स्रोत है । प्रति-ठान की दो मुख्य योजनाएं हैं – वर्तमान संस्थानों के विस्तार/उन्नयन के लिए सहायता अनुदान की योजना और अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की योजना ।

ii) रा-ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम को इक्विटी योगदान : यह निगम अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के मध्य सावधि ऋण और लघु-ऋण के माध्यम से स्वरोजगार एवं अन्य उद्यमों को बढ़ावा देने में कार्यरत है। निगम को अपनी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए शेयर पूंजी उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में एनएमडीएफसी की अधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रु0 है।

एनएमडीएफसी की लघु वित्त योजना का उद्देश्य महिलाओं को गैर–सरकारी संगठनों/स्वःसहायता समूहों के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप औपचारिक ढंग से ऋण सहायता उपलब्ध करा कर उन्हें सशक्त करना है। एनएमडीएफसी महिला समृद्धि योजना का कार्यान्वयन भी करता है इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके आय सर्जक कार्यों के लिए रियायती ब्याज दर पर लघु ऋण दिया जाता है।

iii) निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजना : इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अपने ज्ञान, कौशल में वृद्धि करके सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परिक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए सहायता करना है। इस योजना के तहत पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए ऐसे संस्थानों में सुधारात्मक कोचिंग भी उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना चुनिन्दा कोचिंग संस्थानों को 100% केन्द्रीय सहायता से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे कार्यान्वित की जाती है। योजना के तहत लक्ष्य का 30% छात्राओं के लिए निर्धारित है।

iv) व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्क्रमों के लिए मैरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति अल्पंसख्यक समुदायों के उन छात्रों को दी जाती है जो समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित है। इस योजना की शुरूआत जून, 2007 में हुई थी जिसे राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

v) प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन से जुड़ी योजना : इस योजना का उद्देश्य 15-सूत्रीय कार्यक्रम सहित अल्पंसख्यकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान/अध्ययन, मूल्यांकन और निगरानी करना तथा लक्षित वर्ग से जुड़े ऐसे कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों से संबंधित सूचना के प्रचार प्रसार के लिए उपयुक्त मल्टी-मीडिया अभियान चलाना भी है।

vi) अल्पंसख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना : मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अल्पंसख्यक समुदाय के उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी स्कूलों/संस्थानों में कक्षा I से X तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हों । 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित है। इस योजना की शुरूआत दिनांक

01.04.2008 से की गई जिसे राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

vii) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना : मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अल्पंसख्यक समुदाय के उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जो समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में XI कक्षा से पी.एच.डी. तक की भारत में शिक्षा के लिए तथा XI और XII कक्षा के स्तर की तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से सम्बद्ध) से प्राप्त करने के लिए मानदंड को पूरा करते हों। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। इस योजना का कार्यान्वयन नवम्बर, 2007 से राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है।

viii) अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम: अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की पहचान, जहां अल्पसंख्यकों की पर्याप्त आबादी है तथा जो परस्पर पिछड़े है और सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा संकेतकों की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से पीछे है, वर्ष 2007 में की गई थी। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य एक आधारभूत सर्वेक्षण द्वारा अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अपर्याप्त विकास और सामाजिक–आर्थिक स्थिति तथा आधारभूत सुविधा की उपलब्धता के मध्य के अंतराल को कम करना है। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसे वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था। इसे राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

ix) एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता-अनुदान : रा-ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से करता है। इन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को अपने कार्य को प्रभावी ढंग से नि-पादित करने के क्रम में अवसंरचना, श्रमशक्ति और संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को अपनी क्षमता और कार्य प्रणाली क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु सहायता-अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत, 90% व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष 10% व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

x) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना

यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अंतरित की गई। सच्चर समिति की रिपोर्ट में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग – मुस्लिमों, जिनकी संख्या 13.83 करोड़ है, को विकास पथ से अलग रखा गया है। इस वर्ग में मुस्लिम महिलाएं दुगुनी पिछड़ी है। विकास का लाभ इन वंचित महिलाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के साथ–साथ उन्हे नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें अपने घर और समुदाय की दहलीज से बाहर आने तथा सेवा, कौशल और अवसर प्राप्ति के संदर्भ में अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए सशक्त और प्रोत्साहित किया जा सके।

xi) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटीकरण

इस योजना का कार्यान्वयन वक्फ से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इसकी नवीं रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के अनुसरण में किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र और राज्य वक्फ बोर्डों के माध्यम से किया जा रहा है।

xii) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम०फिल० तथा पी०एचडी० जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति यू०जी०सी० अध्येतावृत्ति की तर्ज पर होगी तथा एम०फिल० तथा पी०एचडी० पाठ्यक्रमों में अनुसंधान करने वाले छात्रों को दी जाएगी। अध्येतावृत्ति का 30% छात्राओं के लिए निर्धारित है।

xiii) राज्य वक्फ बोर्ड का सुदृढीकरण

इस नई योजना का कार्यान्वयन वक्फ से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना के तहत राज्य वक्फ बोर्डों

को सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि राज्य वक्फ बोर्डों के पास प्रभावी ढ़ंग से कार्य करने के लिए संसाधनों का अभाव है। राज्य वक्फ बोर्डों के निष्पादन में सुधार के फलवस्वरूप वक्फ परिसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा तथा संसाधन सृजित करने में मदद मिलेगी जिसका उपयोग मुस्लिमों में कमजोर वर्गों के कल्याण कार्यों पर किया जा सकेगा। इस योजना को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तैयार किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा।

xiv) विदेशों में अध्ययन के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी

इस नई योजना का कार्यान्वयन विदेशों में उच्चतर शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जाना है। योजना को वर्ष 2010–11 के दौरान तैयार किया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदित कर दिए जाने के बाद कार्यान्वित किया जाएगा।

xv) भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप

देश में विलुप्तप्राय और छोटी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन तथा विविध संस्कृतियों को अभिव्यक्त करने वाले बहु–भाषी पर्यावरण को बढावा देने के साथ–साथ ऐसी भाषाओं के संरक्षण से संबंधित एक योजना कार्यान्वित की जानी प्रस्तावित है। राष्ट्रीय तौर पर सहमत भाषायी अल्पसंख्यकों की रक्षा संबंधी योजना में किए गए प्रावधानों के अनुसार उन अभिनिर्धारित जिलों/तहसीलों/नगर–निगमों के स्तर पर महत्वपूर्ण नियम, नियमावलियों, विनियमों, सूचनाओं आदि की राज्य की अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद का निर्णय भी लिया गया है, जहां अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले लोगों की आबादी 15% या इससे अधिक है। योजना को वर्ष 2010–11 के दौरान तैयार किया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदित कर दिए जाने के बाद कार्यान्वित किया जाएगा। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक के परामर्शन में योजना के तहत अन्य मदों/तत्वों को शामिल किया जाएगा।

xvi) लघु अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना

जनगणना संबंधी आंकड़ों के अनुसार कुछ लघु अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् पारसियों की आबादी वर्ष 1941 में 1,14,000 से घटकर वर्ष 2001 में 69,000 रह गयी है। लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी और प्रवृति में बदलाव की दृष्टि से सरकार

द्वारा इस वर्ग के समुदाय को सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। योजना को वर्ष 2010–11 के दौरान तैयार किया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदित कर दिए जाने के बाद कार्यान्वित किया जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान : यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है।

ख - अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम :

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधनमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम की घो-णा जून, 2006 में हुई थी।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य है **(क)** शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना, **(ख)** वर्तमान एवं नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की बराबर की भागीदारी, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य तथा केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करना, **(ग)** अवसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना; और **(घ)** साम्प्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोषित वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्ग तक पहुंचे। अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं का लाभ एक समान पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए इस नए कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि विकास से जुड़ी परियोजना का कुछ भाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए। इसमें यह भी प्रावधान है कि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों में से यथासंभव 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में यथापरिकल्पित निर्धारण योग्य मानी गई योजना के तहत वास्तविक लक्ष्यों और वित्तीय परिव्ययों में से 15% का निर्धारण अधिकांश योजनाओं के संदर्भ में कर लिया गया है।

अध्याय - II

योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य, परिव्यय, वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां आदि

वर्ष 2010-11 के लिए 2600 करोड़ रुपए का योजनागत बजटीय प्रावधान है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात (i) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान (ii) निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना (iii) एनएमडीएफसी को इक्विटि योगदान (iv) प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन (v) एनएमडीएफसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायताःअनुदान (vi) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (vii) राज्य वक्फ बोर्डों की सम्पत्तियों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (viii) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना (ix) विदेशों में अध्ययन के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी (x) भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप (xi) लघु अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना के लिए 343 करोड़ रूप्ए की राशि का प्रावधान तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, अर्थात् (i) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति (ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (iii) मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्ति और (iv) अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और (v) राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण की योजना, जिनके लिए 2257 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2010–11 के लिए प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के लिए मात्रा निर्धारण (वास्तविक उपलब्धियां) वास्तविक लक्ष्य, अनुमानित नतीजे और समय सीमा संबंधी ब्यौरे नीचे की सारणी में दर्शाए गए हैं :–

परिणामी बजट 2010-11

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रु0 में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/ प्रक्रिया	टिप्पणियां/ जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर योजनागत बजट	योजनागत बजट	आई.ई. बी. आर. बजट				

1	2	3	4			5	6	7	8
	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएस)								
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान को सहायता–अनुदान	अल्पसंख्यकों के मध्य कमजोर वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ब्याज अर्जन हेतु प्रति-ठान की संचित निधि में वृद्धि किए जाने हेतु।	-	125.00	-	मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान की संचित निधि के लिए 125 करोड़ रु0 जारी किया जाना।	मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान द्वारा अवसंरचनात्मक विकास के लिए गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से 150 शैक्षिक संस्थानों को सहायता प्रदान की जा सकेगी तथा 18000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जा सकेंगी। अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों की शैक्षिक अवसंरचना के साथ–साथ महिला साक्षरता में भी सुधार लाया जा सकेगा।	वर्ष 2010-11 के दौरान	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा निवेशित राशि पर उपलब्ध ब्याज दर में गिरावट की स्थिति में अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिष्ठान की आय पर्याप्त नहीं होगी।
2	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना	अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने हेतु तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए सहायता	-	15.00	-	5760 छात्रों को कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता	5760 छात्रों को अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने हेतु कोचिंग दी जाएगी	वर्ष 2010-11 के दौरान	-

1	**2**	**3**	**4**			**5**	**6**	**7**	**8**
3	प्रचार सहित विकास कार्यक्रमों के अनुसंधान/ अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	अल्पसंख्यकों के कल्यानार्थ कार्यान्वित योजना और कार्यक्रमों की निगरानी करना और अनुसंधान अध्ययन करना। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार और प्रसार करना।	-	22.00	-	समाचार–पत्रों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन जारी किया जाना। योजनाओं से संबंधित अनुसंधान/प्रभाव अध्ययन कराना। राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों द्वारा निगरानी और मूल्यांकन।	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं का प्रचार–प्रसार लक्षित वर्ग के मध्य करना और उनमें जागरूकता लाना। अनुसंधान/ प्रभाव अध्ययन और समवर्ती निगरानी कार्य किया जाना।	वर्ष 2010-11 के दौरान	-
4	एनएमडीएफसी की इक्विटी के लिए योगदान	एनएमडीएफसी को स्वरोजगार और अन्य उद्यमों के लिए रियायती ऋण देने हेतु सक्षम बनाने के लिए इसकी इक्विटी में योगदान।	-	115.00	-	इक्विटी योगदान के रूप में 115 करोड़ रूपए	वर्ष 2010-11 के दौरान 89013 लाभार्थियों को शामिल किया जाना है।	इक्विटी, वर्ष 2010-11 के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी	निम्नलिखित कारणों से लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बाधा आ सकती है– 1. यदि इक्विटी के मद में राज्य सरकार का योगदान प्राप्त नहीं होता है। 2. यदि राज्य सरकार गारंटी नहीं देते हैं 3. यदि राज्यों द्वारा ऋण वसूली की स्थिति ठीक नही रहती है। 4. यदि राज्य चैनलाइजिंग

									एजेंसियां कार्य नहीं करती हैं।
1	2	3	4			5	6	7	8
5	एनएमडीएफसी योजनाओं के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता- अनुदान	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की श्रमशक्ति और संसाधनों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए ताकि एजेंसियां ऋण देने का कार्य प्रभावी ढंग से कर सकें	-	4.00	-	26 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा ऋण लेन-देन कार्य में सुधार होने की संभावना है	वर्ष 2010–11 के दौरान	निम्नलिखित कारणों से लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बाधा आ सकती है– 1. यदि राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां कार्य नहीं करती हैं। 2. यदि राज्यों से योगदान प्राप्त नहीं होता है।
6.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम0 फिल और पी0एचडी के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए।	-	30.00	-	756 नई अध्येतावृत्तियां	इससे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के शैक्षिक निष्पादन और अनुसंधान संबंधी योग्यता में सुधार आयेगा।	वर्ष 2010–11 के दौरान	
7.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	राज्य वक्फ बोर्डों को उनके अपने अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता	-	13.00	-	30 वक्फ बोर्डों को शामिल किया जाना है।	वक्फ परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और राज्य वक्फ बोर्डों के कार्य निष्पादन में सुधार के फलस्वरूप राज्य वक्फ बोर्डों की आय में वृद्धि होगी जिसे समुदाय के लाभार्थ प्रयोग में लाया जाएगा।	वर्ष 2010–11 के दौरान	

1	**2**	**3**	**4**			**5**	**6**	**7**	**8**
8.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	महिलाओं को सशक्त करने तथा सेवाओं और अवसरों तक उनकी पंहुच हेतु उन्हें नेता की भूमिका निभाने हेतु नेतृत्व विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।	-	15.00	-	56850 महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण दिए जाने के लिए।	अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और अपने स्थानीय समुदाय में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।	वर्ष 2010–11 के दौरान	प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्वसनीय संगठनों/ संस्थानों की पहचान।
9.	विदेशों में अध्ययन के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना	विदेशों में उच्चतर शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	–	2.00	–	मात्रा का निर्धारण अभी किया जाना है।	विदेश में उच्चतर शिक्षा पा रहे अल्पसंख्यक छात्रों के परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम किया जा सकेगा।	वर्ष 2010–11 के दौरान	कार्यान्वयन से पहले नयी योजना की तैयारी, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
10.	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप	देश में विलुप्तप्राय और छोटी भाषाओं को संरक्षित करना तथा बहु–भाषीय पर्यावरण को बढ़ावा देना।	–	1.00	–	मात्रा का निर्धारण अभी किया जाना है।	भाषायी अल्पसंख्यकों की भाषाओं का संरक्षण होगा तथा भाषायी विवधता को भी बनाया रखा जा सकेगा।	वर्ष 2010–11 के दौरान	कार्यान्वयन से पहले नयी योजना की तैयारी, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

1	**2**	**3**	**4**			**5**	**6**	**7**	**8**
11.	लघु अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी में गिरावट में नियंत्रण करने की योजना	लघु अल्पसंख्यक आबादी अर्थात् पारसियों की संख्या में गिरावट की प्रवृति को रोकना।	—	1.00	—	मात्रा का निर्धारण अभी किया जाना है।	लघु अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् पारसियों की आबादी में गिरावट पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।	वर्ष 2010—11 के दौरान	कार्यान्वयन से पहले नयी योजना की तैयारी, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)								
12.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की शिक्षा के लिए सक्षम बनाना।	-	135.00	-	55000 छात्रवृत्तियां	तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र रोजगार अवसर का लाभ प्राप्त कर सकेंगे तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए अधिक से अधिक छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।	वर्ष 2010—11 के दौरान	योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्य निष्पादन पर निर्भर है।
13.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने, स्कूल शिक्षा में सहायता के लिए माता-पिता के वित्तीय बोझ को कम करने तथा छात्रों को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा पूरी करने के लिए	-	450.00	-	20 लाख छात्रवृत्तियां	छात्रवृत्तियां प्रदान करने के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे अल्पसंख्यक समुदायों की साक्षरता दर में सुधार भी लाया जा सकेगा।	वर्ष 2010—11 के दौरान	योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्य निष्पादन पर निर्भर है।

		सक्षम बनाना।							
1	**2**	**3**	**4**			**5**	**6**	**7**	**8**
14	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	भारत में 11वीं कक्षा से लेकर पीएच.डी तक की उच्चतर शिक्षा तथा औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों/ औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में 11वीं और 12वीं स्तर की तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए	-	265.00	-	4 लाख छात्रवृत्तियां	छात्रवृत्तियां प्रदान करने के माध्यम से छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे उनकी रोजगार संबंधी संभावनों में सुधार लाया जा सकेगा।	वर्ष 2010–11 के दौरान	योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्य निष्पादन पर निर्भर है।
15	अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	अभिनिर्धारित जिलों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के मध्य के विकास अंतराल को कम करने के लिए	-	1400.00	-	अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित जिलों में से अल्पसंख्यक बहुल 40 जिलों से संबंधित जिला योजनाओं को पूर्णतः अनुमोदित करने के प्रयास किए जाएंगे।	समाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों जैसे साक्षरता, कार्य भागीदारी, आवास, पेय जल आपूर्ति, शौचालय, प्रकाश आदि की स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा।	वर्ष 2010–11 के दौरान	लक्ष्यों की प्राप्ति राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा जिला योजनाओं प्रस्ताओं को भेजे जाने पर निर्भर है।
16.	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	राज्य वक्फ बोर्डों को अपने कार्यों में सुधार लाने के लिए तथा उन्हें सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता।	–	7.00	–	15 वक्फ बोर्डों को शामिल किया जाएगा।	राज्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में सुधार तथा वक्फ परिसंपत्तियों से अतिरिक्त धनराशि सृजित होगी जिससे मुस्लिम निर्धनों के कल्याण के लिए कार्य किए जा सकेंगे।	वर्ष 2010–11 के दौरान	कार्यान्वयन से पहले नयी योजना की तैयारी, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
	योग-			**2600.00**	**-**				

अध्याय - III

नीतिगत पहलें और सुधार के उपाय

नीतिगत पहल

रा-ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अनुसार 5 समुदायों को अर्थात मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के विकास से जुड़े लाभों, विशे-कर शिक्षा, रोजगार के अवसरों और जीवन स्तर में सुधार से जुड़ी विकासात्मक योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग तक समान रूप से पहुंचाने की दिशा में नीतिगत पहलें की है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

(i) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम : अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की घो-णा जून, 2006 में हुई थी। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं **(क)** शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना, **(ख)** वर्तमान और नई योजनाओं के माध्यम से तथा स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि कर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना तथा राज्य और केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती, **(ग)** अवसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, और **(घ)** सांप्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोषित वर्गों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं का लाभ एक समान पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए इस नए कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि विकास से जुड़ी परियोजना का कुछ भाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए। नए कार्यक्रम में यह भी प्रावधान है कि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों में से यथासंभव 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

(ii) शिक्षा : इस मंत्रालय ने शिक्षा के सुधार पर बल दिया है तथा मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान की संचित निधि में वृद्धि और नई योजनाएं शुरु करने के उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं - अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां जैसे मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मैरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति । इन योजनाओं के उद्देश्य और अनुमानित नि-कर्-ा अध्याय-II में

दिए गए हैं । इन योजनाओं के साथ–साथ 'निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना' के तहत उपलब्ध छात्रवृत्तियों में से 30% छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए निर्धारित है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान द्वारा छात्रावासों तथा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण और विस्तार की योजना और अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा में दो वर्ष के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(iii) रोजगार के अवसर :

(क) रा-ट्रीय अल्पंसख्यक विकास और वित्त निगम के कार्यनि-पादन में सुधार लाने की दृ-टि से इसकी पुनर्संरचना की अनुसंशा के लिए गठित विशे-नज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विशेषज्ञदल की अनुशंसाओं के आधार पर तथा अंतर विभागीय परामर्शन के बाद सरकार ने एनएमडीएफसी की पुनर्संरचना हेतु 'सिद्धान्तः' स्वीकृति प्रदान कर दी है। ब्यौरे तैयार करने के लिए परामर्शदाता फर्म की नियुक्ति को अंतिम रूप दे दिया गया है। भारत सरकार की इक्विटी भागीदारी में वृद्धि की जा रही है ताकि एनएमडीएफसी के कार्य–क्षेत्र में विस्तार लाया जा सके तथा लक्षित वर्ग के अधिक लोगों को वित्तीय सहायता पहुंचाई जा सके।

(ख) निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना : इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है तथा प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत 30% लाभ छात्राओं के लिए निर्धारित है।

(iv) क्षेत्र विकास कार्यक्रम

अल्पसंख्यक बहुल जिले : सामाजिक–आर्थिक स्तर तथा आधारभूत सूविधा संकेतकों के संदर्भ में अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी और पिछड़ेपन का स्तर राष्ट्रीय औसत से नीचे रहने को आधार मानकर वर्ष 2001 की जनगणना के पिछड़ेपन के मानकों तथा जनसंख्या संबंधी आकड़े के आधार पर वर्ष 2007 में अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की पहचान की गई थी। इन जिलों में 'धीमे विकास" के कारणों के समाधान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण कराया गया है। इन जिलों में अपर्याप्त विकास की समस्या के समाधान के लिए एक बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है तथा उसे स्वीकृति मिलने के बाद वर्ष 2008–09 से कार्यान्वित कर दिया गया है।

सुधार कार्य/सुधार के उपाय

वर्तमान योजनाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(I) रा-ट्रीय अल्पंसख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) :

i) एनएमडीएफसी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा एनएमडीएफसी और भारत सरकार के मध्य हुए समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में त्रैमासिक आधार पर की जाती है।

ii) राज्य चैनलाइजिंग एजेसिंयों को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तथा एनएमडीएफसी की मद में दिए जाने वाले योगदान को जारी करने के लिए राज्य सरकारों से निरंतर आग्रह किया जाता रहता है।

iii) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के कार्य निष्पादन और उनकी अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सुदृढ़ करने संबंधी एक योजना शुरू की गई थी।

iv) एनएमडीएफसी को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है। बैंकरों और वित्त विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति ने एनएमडीएफसी की कार्य प्रणाली की समीक्षा की थी तथा निगम को पुनर्गठित करने संबंधित अपनी अनुशंसाएं की थीं। विस्तृत अध्ययन करने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए परामर्शक की नियुक्ति को अंतिम रूप दे दिया गया है।

v) एनएमडीएफसी की लघु वित्त ऋण योजना का मूल्यांकन अध्ययन कृनि वित्त निगम द्वारा किया गया है । यह रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है जिसकी समीक्षा की जा रही है।

(II) मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान (एमएईएफ) :

i) प्रति-ठान की संचित निधि में पर्याप्त वृद्धि की गई है तथा 11वीं पंचव-र्षीय योजना (2007-2012) की शेष अवधि के दौरान और वृद्धि की जानी है।

(ii) संगठन ने यह सुनिश्चित किया है कि गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान तथा छात्राओं को छात्रवृत्तियां दिए जाने संबंधी संभी महत्वपूर्ण सूचना मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.maef.nic.in पर उपलब्ध होगी।

(iii) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के संसाधनों को राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार बराबर–बराबर आंवटित किया गया है।

(iv) मूल्यांकन–सह–परिसंपत्ति सत्यापन संबंधी अध्ययन प्रगति पर है।

(III) विभिन्न योजनाओं की प्रगति की निगरानीः

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वंय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देता है जिसके लिए कार्यक्रमों की निगरानी के लिए बहु–चरणीय प्रणाली अपनाई गई है। निगरानी तंत्र की मुख्य विशेषता इस प्रकार हैं :–

क) योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना से संबंधित दिशा–निर्देशों में निगरानी तंत्र का उल्लेख है।

ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, राज्य सरकारों/कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों जिसमें योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का उल्लेख होता है के माध्यम से की जाती है।

ग) कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/अभिकरणों/संगठनों के साथ मिल कर की जाती है।

घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में तथा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में की जाती है और उसके बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट सौंपी जाती है।

ङ) अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर समितियों द्वारा की जाती हैं।

च) दूसरी और बाद की किश्तें जारी किए जाने से पहले कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को उपयोगिता प्रमाण–पत्र, लेखा परिक्षित खाते और अन्य अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होती है।

छ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने की दृष्टि से राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद के माध्यम से देश भर में राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

अध्याय - IV

पिछले कार्यनि-पादन की समीक्षा

वर्ष 2008-09 का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (आरई)	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता– अनुदान	2008–09	60.00	60.00	150 गैर–सरकारी संगठनों को ऋण संवितरित करना तथा छात्राओं को 12000 छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना।	124 गैर–सरकारी संगठनों को ऋण संवितरित करना तथा छात्राओं को 12,064 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (इक्विटी में योगदान)	2008–09	75.00	75.00	गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 60 हजार लाभार्थियों को 160 करोड़ रु0 का सावधि और लघु ऋण संवितरित करना।	गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 51,198 हजार लाभार्थियों को 130. 73 करोड़ रु0 का सावधि और लघु ऋण/वित्तीय सहायता संवितरित की गई।
3.	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2008–09	2.30	00.00		
4.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	2008–09	8.75	7.30	4,000 छात्रों को कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता दिया जाना।	20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 71 संस्थानों के माध्यम से 5522 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की गई।
5.	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/ अध्ययन, निगरानी	2008–09	8.95	7.97	मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित मीडिया अभियान चलाना और अनुसंधान/अध्ययन	एक मल्टीमीडिया अभियान चलाया गया। सामाजिक आमेलन, कोचिंग, अल्पसंख्यकों के

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (आरई)	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
	और मूल्यांकन की योजना				कराना।	कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम, मैट्रिकोत्तर और मैट्रिक–पूर्व, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति तथा मंत्रालय की अन्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों से संबंधित विज्ञापन पूरे देश भर में अंग्रेजी में 348, हिन्दी में 357 और उर्दू में 250 तथा अन्य स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों में 405 विज्ञाापन प्रकाशित कराए गए। दूरदर्शन और आकाशवाणी तथा अन्य निजी चैनलों पर दृश्य–श्रव्य अभियान भी चलाए गए। 80 जिलों के संदर्भ में भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा की गई आधारभूत सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हुई।
6.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	2008-09	64.94	64.73	35,000 छात्रवृत्तियां (20,000 नई छात्रवृत्तियां और 15,000 नवीकरण) प्रदान किया जाना।	26195 छात्रों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई जिनमें से 8384 छात्राओं के लिए थी। 26195 छात्रवृत्तियों में 17099 नई छात्रवृत्तियां और 9096 नवीकरण की थीं।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	व-र्ष	वित्तीय लक्ष्य (आरई)	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	2008-09	79.90	62.21	3 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना।	5.13 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई (2.61 लाख छात्राओं के लिए)
8.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2008-09	69.93	70.63	1.25 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना।	1.70 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई (0.94 लाख छात्राओं के लिए)
9.	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पंसख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।	2008-09	279.89	270.85	अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की योजनाओं को अनुमोदित किया जाना।	योजना कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में अल्पसंख्यक बहुल 47 जिलों से संबंधित योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत मदों में शामिल हैं – इंदिरा आवास योजना के मकान, आंगनवाड़ी भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाएं, अतिरिक्त कक्षाएं, स्कूल भवन, छात्रों के लिए छात्रावास आदि।
10.	सचिवालय	2008-09	0.34	0.34	मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना।	प्रावधान का उपयोग मंत्रालय की सूचना प्रोद्योगिकी की व्यवस्था को दुदृढ़ करने के लिए किया गया।

वर्ष 2009-10(31 दिसम्बर, 2009 तक) का विवरण

(करोड़ रुपए मे)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि, 31 दिसम्बर, 2009 तक	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि, 31 दिसम्बर, 2009 तक
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान	2009-10	115.00	115.00	200 गैर–सरकारी संगठनों को ऋण संवितरित करना और छात्राओं को 15,000 छावृत्तियां प्रदान करना।	77 गैर सरकारी संगठनों को 10.55 करोड़ रु0 का ऋण संवितरित किया गया।
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (इक्विटी में योगदान)	2009-10	125.00	125.00	गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 66 हजार लाभार्थियों को 176 करोड़ रु0 का सावधि और लघु ऋण संवितरित करना।	गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 53852 लाभार्थियों को 117.88 करोड़ रु0 का लघु ऋण/वित्तीय सहायता संवितरित की गई।
3.	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2009-10	2.00	00.00	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान जारी किया जाना।	–
4.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	2009-10	12.00	7.17	5000 छात्रों को काचिंग देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।	4657 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देने के लिए 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 38 संस्थानों को धनराशि जारी की गई।
5.	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/ अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	2009-10	13.00	6.96	मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित मीडिया अभियान चलाना और अनुसंधान/अध्ययन कराना।	एक मल्टी मीडिया अभियान चलाया गया। सामाजिक आमेलन, कोचिंग, छात्रवृत्ति तथा मंत्रालय की अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित विज्ञापन पूरे देश भर में अंग्रेजी में 147, हिन्दी में 447 और उर्दू

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि, 31 दिसम्बर, 2009 तक	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि, 31 दिसम्बर, 2009 तक
						में 261 तथा अन्य स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों में 303 विज्ञाापन प्रकाशित कराए गए। दूरदर्शन और आकाशवाणी (प्रसार भारती) तथा अन्य निजी चैनलों पर दृश्य–श्रव्य अभियान भी चलाए गए। अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कराए गए प्रभाव अध्ययन की प्रारूप रिपोर्ट प्राप्त हुई।
6.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	2009-10	100.00	84.65	42,000 छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना।	31911 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई जिनमें से 10199 छात्राओं के लिए थीं, (18,195 नए मामले और 13,716 नवीकरण के मामले थे।)
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2009-10	200.00	128.94	मूल लक्ष्य– 22 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना जिसे संशोधित कर 15 लाख किया गया।	12.19 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई जिनमें से 5.88 लाख छात्राओं के लिए थी।
8.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2009-10	150.00	99.42	मूल लक्ष्य– 7 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना जिसे संशोधित कर 03 लाख किया गया।	2.64 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई, जिनमें से 1.49 लाख छात्राओं के लिए थी।
9.	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पंसख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।	2009-10	989.50	513.36	अल्पसंख्यक बहुल जिलों से संबंधित जिला योजनाओं को अनुमोदित किया जाना।	अल्पसंख्यक बहुल जिलों से संबंधित कुल 53 जिला योजनाओं (29 नए और 24 संशोधित जिला योजनाओं) को स्वीकृति

						प्रदान की गई। स्वीकृत
क्र. सं.	**योजना/कार्यक्रम**	**वर्ष**	**वित्तीय लक्ष्य**	**वित्तीय उपलब्धि, 31 दिसम्बर, 2009 तक**	**वास्तविक लक्ष्य**	**वास्तविक उपलब्धि, 31 दिसम्बर, 2009 तक**
						मदों में शामिल हैं :– इंदिरा आवास योजना के मकान, आंगनवाडी भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, जल आपूर्ति परियोजनाएं, अतिरिक्त कक्षाएं, स्कूल भवन, छात्रों एवं छात्राओं के लिए छात्रावास, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा पॉलीटेक्नीक आदि।
10.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2009-10	15.00	0.00	756 अध्येतावृतियां प्रदान किया जाना।	इस योजना की तैयारी और शुभारम्भ 22 दिसम्बर 2009 को किया गया है।
11.	वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	2009-10	10.00	0.00	29 राज्य वक्फ बोर्डों को शामिल किया जाना।	इस योजना की तैयारी और शुभारम्भ 22 दिसम्बर 2009 को किया गया है।
12.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	2009-10	8.00	0.00	32950 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना।	योजना तैयार कर ली गई है और उसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
13.	सचिवालय	2009-10	0.50	0.25	मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना।	प्रावधान का उपयोग मंत्रालय की सूचना प्रोद्योगिकी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया।

अध्याय V

अध्याय V(क)

वित्तिय समीक्षा – बजट अनुमान वर्ष 2010–11 तथा बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान वर्ष 2009–10 को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु0 में)

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2009-10)			संशोधित अनुमान (2009-10)			बजट अनुमान (2010-11)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–ोजनागत	कुल
	राजस्व खंड										
1	सचिवालय	2251	0.50	7.24	7.74	0.50	7.02	7.52	0.50	6.60	7.10
2	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	2250	0.00	5.28	5.28	0.00	5.05	5.05	0.00	5.26	5.26
3	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	2250	0.00	1.98	1.98	0.00	1.91	1.91	0.00	2.00	2.00
4	वक्फ को सहायता–अनुदान	2235	0.00	1.98	1.98	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50
5	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान	2235	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
6	मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान को सहायता–अनुदान	2225	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	125.00	0.00	125.00
7	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	2225	10.44	0.00	10.44	10.44	0.00	10.44	13.00	0.00	13.00
		3601	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.35	0.00	0.35
		3602	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.15	0.00	0.15
		2552	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	1.50	0.00	1.50
			12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	15.00	0.00	15.00

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2009-10)			संशोधित अनुमान (2009-10)			बजट अनुमान (2010-11)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–ोजनागत	कुल
8	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	2225	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	18.00	0.00	18.00
		2225	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	3.50	0.00	3.50
		2552	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.50	0.00	0.50
			13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	22.00	0.00	22.00
9	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2225	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	3.60	0.00	3.60
		2552	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.40	0.00	0.40
			2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00
10	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225	13.40	0.00	13.40	13.50	0.00	13.50	26.98	0.00	26.98
		3601	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
		3602	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
		2552	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	3.00	0.00	3.00
			15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	30.00	0.00	30.00
11	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	2235	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	11.70	0.00	11.70
		2552	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.30	0.00	1.30
			10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	13.00	0.00	13.00

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2009-10)			संशोधित अनुमान (2009-10)			बजट अनुमान (2010-11)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–ोजनागत	कुल
12	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	2235	7.10	0.00	7.10	7.10	0.00	7.10	13.30	0.00	13.30
		3601	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.10	0.00	0.10
		3602	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.10	0.00	0.10
		2552	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	1.50	0.00	1.50
			8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	15.00	0.00	15.00
13	विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों में ब्याज में छूट	2235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80
		2552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
14	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए उन्नयन क्रियाकलाप	2225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
		2235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
		3601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
		3602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
		2552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
15	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की गिरती जनसंख्या को रोकने के लिए योजना	2235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
16	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	2225	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.18	0.00	0.18
		3601	88.75	0.00	88.75	88.75	0.00	88.75	119.82	0.00	119.82
		3602	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	1.50	0.00	1.50
		2552	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	13.50	0.00	13.50
			100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	135.00	0.00	135.00

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2009-10)			संशोधित अनुमान (2009-10)			बजट अनुमान (2010-11)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–ाजनागत	कुल
17	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	2225	8.50	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	10.00	0.00	10.00
		3601	873.00	0.00	873.00	873.00	0.00	873.00	1223.20	0.00	1223.20
		3602	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	12.00	0.00	12.00
		2552	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	154.30	0.00	154.30
			989.50	0.00	989.50	989.50	0.00	989.50	1399.50	0.00	1399.50
18	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	2225	0.43	0.00	0.43	0.43	0.00	0.43	1.00	0.00	1.00
		3601	176.99	0.00	176.99	176.99	0.00	176.99	400.00	0.00	400.00
		3602	2.58	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	4.00	0.00	4.00
		2552	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	45.00	0.00	45.00
			200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	450.00	0.00	450.00
19	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	2225	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	1.00	0.00	1.00
		3601	132.79	0.00	132.79	132.79	0.00	132.79	234.50	0.00	234.50
		3602	1.91	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	3.00	0.00	3.00
		2552	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	26.50	0.00	26.50
			150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	265.00	0.00	265.00
20	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	**2225**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25
		2235	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.05	0.00	0.05
		3601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50
		3602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
		2552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70
			0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	7.00	0.00	7.00

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2009-10)			संशोधित अनुमान (2009-10)			बजट अनुमान (2010-11)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–ाजनागत	कुल
	योग (राजस्व खंड)		1615.00	16.50	1631.50	1615.00	15.50	1630.50	2485.00	15.37	2500.37
	पूंजीगत खंड										
21	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	4225	112.50	0.00	112.50	112.50	0.00	112.50	103.50	0.00	103.50
		4552	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	11.50	0.00	11.50
			125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	115.00	0.00	115.00
	योग (पूंजीगत खंड)		125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	115.00	0.00	115.00
	कुल योग= (राजस्व + पूंजीगत) खंड		1740.00	16.50	1756.50	1740.00	15.50	1755.50	2600.00	15.37	2615.37

अध्याय V(ख)

वित्तीय समीक्षा – वर्ष 2009–10 के लिए परिव्यय सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान परिव्यय तथा वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु0 में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (स्वीकृत, राजस्व/पूंजीगत)	परिव्यय (2006-07)	वास्तविक व्यय (2006-07)	परिव्यय (2007-08)	वास्तविक व्यय . (2007-08)	परिव्यय (2008-09)	वास्तविक व्यय (2008-09)	परिव्यय (2009-10)	31 दिसम्बर, 2009 तक वास्तविक व्यय
	गैर–योजनागत								
1	सचिवालय–सामाजिक सेवा	2.00	4.43	3.91	4.09	5.26	4.87	7.24	5.53
2	अन्य सामाजिक सेवाएं								
i)	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	3.67	2.89	4.40	3.22	4.04	4.24	5.28	3.49
ii)	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	1.04	1.04	1.43	1.08	1.53	1.43	1.98	1.29
iii)	एनसीआरएलएम	0.73	2.11	0.19	0.43				
3	i) वक्फ को सहायता–अनुदान	2.06	2.06	2.90	2.90	3.00	0.00	1.98	0.00
	नई योजनाएं								
	ii) केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान							0.01	0.00
	iii) राज्य वक्फ बोर्डों को सहायता–अनुदान							0.01	0.00
	योग =	**9.50**	**12.53**	**12.83**	**11.72**	**13.83**	**10.54**	**16.50**	**10.31**

क्रम सं.	स्कीम/योजना का नाम	परिव्यय (2006-07)	वास्तविक व्यय (2006-07)	परिव्यय (2007-08)	वास्तविक व्यय . (2007-08)	परिव्यय (2008-09)	वास्तविक व्यय (2008-09)	परिव्यय (2009-10)	दिसम्बर, 09 तक वास्तविक व्यय
	योजनागत								
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सी एस)**								
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान को सहायता– अनुदान	0.00	100.00	50.00	50.00	60.00	60.00	115.00	115.00
2	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	0.98	0.41	10.00	5.74	10.00	7.30	12.00	7.17
3	एनएमडीएफसी की इक्विटी में योगदान	0.00	18.29	70.00	70.00	75.00	75.00	125.00	125.00
4	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/ अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	0.00	0.79	6.00	10.48	5.00	7.97	13.00	6.96
5	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान			10.00	10.00	5.00	0.00	2.00	0.00
6	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना							8.00	0.00
7	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति							15.00	0.00
8	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण							10.00	0.00
	उप–योग - (सीएस))=	**0.98**	**119.50**	**146.00**	**146.22**	**155.00**	**150.27**	**300.00**	**254.13**

ख	**केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)**								
1	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	0.00	0.00	54.00	40.80	124.90	64.73	100.00	84.65
2	चुन्निदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम			120.00	0.00	539.80	270.85	989.50	513.36
3	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां			80.00	0.00	79.90	62.21	200.00	128.94
4	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां			100.00	9.63	99.90	70.63	150.00	99.42
5	*सचिवालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सेवा					0.50	0.34	0.50	0.25
	उप–योग (सीएसएस)=	**0.00**	**0.00**	**354.00**	**50.43**	**845.00**	**468.75**	**1440.00**	**826.62**
	कुल योग (क + ख) =	**0.98**	**119.50**	**500.00**	**196.65**	**1000.00**	**619.02**	**1740.00**	**1080.75**

टिप्पणी: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को किया गया था तथा प्रारम्भ में वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए सचिवालय सोशल सर्विस शीर्ष (गैर–योजनागत) के तहत 2.00 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया था। बाद में सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय की अनुदान मांग में तकनीकी अंतरण द्वारा प्रावधानकृत 130.89 करोड़ (योजनागत) और 10.63 करोड़ रूपए (गैर–योजनागत) की अतिरिक्त राशि भी पूरक अनुदान के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी थी।

*सभी सी एस एस योजनाओं से प्रावधान किया गया है।

अध्याय–V (ग)

वर्ष 2007–08, 2008–09 और 2009–10 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के साथ–साथ व्यय संबंधी प्रवृत्ति का विश्लेषण

2007–08

(करोड़ रु0 में)

	बजट आकलन 2007-08	संशोधित आकलन 2007–08	वास्तविक व्यय	बजट आकलन के व्यय का %	संशोधित आकलन के व्यय का %
योजनागत में से	500.00	350.00	196.65	39.33	56.19
राजस्व	430.00	280.00	126.65	29.45	45.23
पूंजीगत	70.00	70.00	70.00	100.00	100.00
गैर-योजनागत में से	12.83	12.83	11.73	91.43	91.43
राजस्व	12.83	12.83	11.73	91.43	91.43
पूंजीगत	–		–		
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	512.83	362.83	208.38	40.63	57.43
राजस्व	442.83	292.83	138.38	31.24	47.26
पूंजीगत	70.00	70.00	70.00	100.00	100.00

वर्ष 2008-09

(करोड़ रुपए में)

	बजट आकलन 2008-09	संशोधित आकलन 2008–09	वास्तविक व्यय	बजट आकलन के व्यय का %	संशोधित आकलन के व्यय का %
योजनागत में से	1000.00	650.00	619.02	61.90	95.23
राजस्व	925.00	575.00	544.02	58.81	94.61
पूंजीगत	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00
गैर-योजनागत में से	13.83	14.38	10.54	76.21	73.30
राजस्व	13.83	14.38	10.54	76.21	73.30
पूंजीगत	–	–	–	–	–
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	1013.83	664.38	629.56	62.10	94.76
राजस्व	938.83	589.38	554.56	59.07	94.09
पूंजीगत	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00

2009–10 (31 दिसम्बर, 2009 तक)

(करोड़ रु0 में)

	बजट आकलन 2009-10 (करोड़ में)	संशोधित आकलन 2009-10 (करोड़ में)	(31 दिसम्बर, 2009 तक) वास्तविक व्यय	बजट आकलन के व्यय का %	संशोधित आकलन के व्यय का %
योजनागत में से	1740	1740	1080.75	62.11	62.11
राजस्व	1615	1615	955.75	59.18	59.18
पूंजीगत	125	125	125.00	100	100
गैर-योजनागत में से	16.50	15.50	10.31	62.48	66.52
राजस्व	16.50	15.50	10.31	62.48	66.52
पूंजीगत	-		-		
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	1756.50	1755.50	1091.06	62.12	62.15
राजस्व	1631.50	1630.50	966.06	59.21	59.25
पूंजीगत	125.00	125.00	125.00	100	100

अध्याय–V (घ)

राज्यों और कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के पास दिनांक 01.4.2009 और 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार शेष बची राशि तथा उनके द्वारा देय उपयोगिता प्रमाण–पत्र की स्थिति

(करोड़ रु0 में)

01.4.2009 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	01.4.2009 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की राशि	01.4.2009 के अनुसार शेष बची राशि	31.12.2009 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	31.12.2009 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की राशि	31.12.2009 के अनुसार शेष बची राशि
39	5.66 करोड़ रु0	478.89 करोड़ रु0	98	165.09 करोड़ रु0	1083.55 करोड़ रु0

अध्याय - VI

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्यनि-पादन की समीक्षा

रा-ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कम्पनी है तथा मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। इन संगठनों की जवाबदेही निम्नलिखित तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है :

(1) रा-ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) :

एनएमडीएफसी कंपनी अधिनियम की धारा–25 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जिसका उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यह कंपनी अल्पसंख्यक समुदाय के उन पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार से जुड़े क्रियाकलापों के लिए रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराती है जिनके परिवार की आय गरीबी रेखा से दुगुना नीचे है। एनएमडीएफसी ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वित्तीय और वास्तविक दोनों लक्ष्य निर्धारित हैं। उपलब्धियों में हुई प्रगति की निगरानी त्रैमासिक समीक्षाओं के माध्यम से की जाती है।

(2) मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान :

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वैच्छिक, गैर-लाभ अर्जक सोसाइटी है। यह शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढावा देता है। प्रति-ठान की दो मुख्य योजनाएं हैं - स्कूलों भवनों के विस्तार/उन्नयन, छात्रावासों के निर्माण, प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद आदि के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान शैक्षिक अवसंरचना का विकास और अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की योजना। प्रतिष्ठान की कार्यप्रणाली की निगरानी की दिशा में किए गए उपायों में शामिल है :–

i) आवधिक समीक्षा की जा रही है।

(ii) प्रतिष्ठान की योजनाओं का लक्षित वर्ग पर प्रभाव के आकलन के लिए इण्डियन सोशल इन्स्टीट्यूट को मूल्यांकन और परिसंपत्ति जांच अध्ययन का कार्य सौंपा गया है।

****